

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 07, बुधवार, शाके 1947- अक्टूबर 29, 2025 Kartika 07, Wednesday, Saka 1947- October 29, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2025

जी.एस.आर.88 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ सेवा में भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से, बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;
- (ख) “बोर्ड” से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) “अध्यक्ष” से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) “आयोग” से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ङ) “समिति” से नियम 34 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
- (च) “सीधी भर्ती” से इन नियमों के भाग-IV में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;
- (छ) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

- (ज) “सेवा का सदस्य” से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ञ) “सचिव” से इस प्रकार उस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें बोर्ड के सचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है;
- (ट) “सेवा” से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ) सेवा, अभिप्रेत है;
- (ठ) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (ड) “सेवा” या “अनुभव” जहाँ कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो।

टिप्पण: सेवा के दौरान ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन “ड्यूटी” के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

- (ढ) “अधिष्ठायी नियुक्ति” से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या किसी परिवीक्षाधीन के रूप में की गयी कोई नियुक्ति सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो।

टिप्पण: इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, या तो सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती सम्मिलित होगी; और

- (ण) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग-2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.- (1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-I के स्तंभ 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु सरकार,

- (क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी; और
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी।

5. सेवा का गठन.- सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

- (क) अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त कर्मचारी; और
- (ख) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग-3

भर्ती

6. भर्ती की रीति.- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी:-

- (क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और
- (ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी भी रीति से या अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा उपदर्शित अनुपात में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपर्युक्त रीति द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आपात के दौरान थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और इन नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग की, तथा यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के, अध्यक्षीन रहते हुए,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मेट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.01.1972 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाई/आतंकवाद के विरुद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया

था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा युद्ध हताहत के रूप में घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मेट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् किसी घटना में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और सशस्त्र बलों के संबंधित मुख्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके; और

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन मेट्रिक्स में के लेवल एल-10 तक के पद, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे किसी सदस्य, जो राज्य का मूल निवासी था या है और जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों/आतंकवाद के विरुद्ध संक्रियाओं सहित किन्हीं प्रतिरक्षा संक्रियाओं में मारा गया था/मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था/है और गृह/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामरिक कार्यवाही में हताहत घोषित किया गया है, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;

भर सकेगा:

परन्तु,-

(क) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ख) यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत या स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक की विधवा/विधुर या आश्रित तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उसे रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के ऐसे आश्रित या अन्य आश्रितों में से किसी को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक की मृत्यु या कार्मिक के स्थायी रूप से अशक्तता के समय, आश्रितों में से कोई भी एक पहले से ही केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन पहले से ही नियमित रूप से नियोजित हो:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां अशक्त व्यक्ति या विधवा/विधुर स्वयं के लिए रोजगार चाहता/चाहती है।

(3) स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/ऐसा आश्रित, नियुक्ति के लिए आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के कार्मिक के संबंधित अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय/सेवा मुख्यालयों को, सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा। सामान्य भर्ती नियमों के शिथिलीकरण के लिए आवेदन पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए

विचार किया जायेगा कि, संबंधित सेवा मुख्यालय/अभिलेख कार्यालय/अभिहित कार्यालय सम्यक् रूप से सत्यापित करेंगे और आवेदक किसी पद-विशेष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव और आयु सीमा को पूर्ण करता हो तथा सरकारी सेवा के लिए अन्यथा भी अर्हित हो।

(4) उपरोक्त उप-नियम (3) में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ऐसे आश्रित/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को, स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक/आश्रित द्वारा धारित अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए, अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में, आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन जिलों में से किसी में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो संभागीय आयुक्त द्वारा आवेदन कार्मिक (क-2) विभाग को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) आवेदन में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

- (क) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम;
- (ख) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने से पूर्व सेवाएं दे रहा था/थी;
- (ग) युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत घोषित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उसकी मृत्यु की तारीख और स्थान;
- (घ) स्थायी अशक्तता प्रमाणपत्र (निःशक्तता प्रमाणपत्र); और
- (ङ) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हताएं और मृतक/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक (युद्ध हताहत/सामरिक कार्यवाही में हताहत/शारीरिक हताहत) के साथ उसका सम्बन्ध।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (i) “सशस्त्र बलों” से भारत संघ की थल सेना, नौसेना और वायु सेना अभिप्रेत हैं।
- (ii) “केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)” से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बतीय सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफिल्स, या, यथास्थिति, सशस्त्र सीमा बल जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें, अभिप्रेत हैं।
- (iii) “भारतीय तटरक्षक” से भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत बल अभिप्रेत है।
- (iv) “आश्रित” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

- (क) पति/पत्नी, या
- (ख) पुत्र/सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक द्वारा उसकी मृत्यु/स्थायी अशक्तता के समय से पूर्व, दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र; या
- (ग) अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री, विधवा पुत्री/विच्छिन्न विवाह पुत्री जो सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक पर, पूर्ण रूप से आश्रित है; या

- (घ) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का कोई भी अन्य आश्रित उपलब्ध नहीं हो; या
- (ङ) सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), भारतीय तटरक्षक के मृत/स्थायी रूप से अशक्त अविवाहित कार्मिक के मामले में, माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन;

टिप्पण: “दत्तक पुत्र/पुत्री” से हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है। हिन्दू धर्म से भिन्न धर्म वाले आश्रितों के लिए, मामला आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

- (v) “स्थायी रूप से अशक्त” से ऐसा सिपाही/व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यूनतम 40% निःशक्तता से ग्रस्त है और जिसे थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या, यथास्थिति, भारतीय तटरक्षक के संबंधित अनुमोदन और पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थायी रूप से अशक्त घोषित किया गया है।

8. ऐसे मृतक व्यक्तियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति जिन्हें उत्तराखण्ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया गया.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मेट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, ऐसा व्यक्ति, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी था और 2013 की उत्तराखण्ड त्रासदी में मर गया था या जिसे ऐसी त्रासदी में लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा,-

- (i) आश्रित राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और
- (ii) आश्रित इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो:

परन्तु चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। आश्रित को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसके ना होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी भी एक भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें असफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए

दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित करने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुमत की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी:

परन्तु यह भी कि इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(2) ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे मृतक के या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति के आश्रितों में से कोई भी एक, मृतक की मृत्यु या ऐसे लापता व्यक्ति को मृत घोषित किये जाने के समय, केन्द्रीय/ किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय/ किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विधिक बोर्ड/ गठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित है:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन चाहती हैं:

परन्तु यह और कि यदि किसी कुटुम्ब में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मृत हैं या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित कर दिये गये हैं, एक से अधिक है तो, केवल एक आश्रित की अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए ही विचार किया जायेगा।

(3) ऐसा आश्रित नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर आवेदन को अपनी सिफारिशों सहित आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सत्यापन हेतु अग्रेषित करेगा। ऐसे मृतक की मृत्यु या ऐसे मृतक की मृत्यु की घोषणा के सत्यापन के पश्चात् ऐसे आश्रित का आवेदन, उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए आश्रित से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) पति/पत्नी; या

(ख) पुत्र जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है; या

(ग) अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पुत्री जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है; या

(घ) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं है; या

(ङ) मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित अविवाहित व्यक्ति के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति पर उसकी मृत्यु के समय पूर्ण रूप से आश्रित था।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जो आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग द्वारा जारी किये गये सहायता पैकेज दिनांक 29.07.2013 के अनुसरण में नियुक्त किये गये हों, राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारम्भ की तारीख से, यदि वे इस नियम के अधीन नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र हैं, इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

9. ऐसे अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड-19) के कारण अनाथ हो गये.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मेट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है, अनुकम्पात्मक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा,-

(i) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और

(ii) अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो।

(2) चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसमें विफल होने पर, उसकी परीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा, या तो अंग्रेजी या हिन्दी में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(3) ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो।

(4) यदि अनाथ उसके अवयस्कता के कारण तुरन्त नियोजन लेने की स्थिति में नहीं हो तो पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा।

(5) ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं

हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, अपने जैविक या दत्तक माता-पिता (दोनों) जिनकी मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है, अठारह वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है और जो अपने माता-पिता मृत्यु के समय उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था।

10. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-सह-योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी और पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्ति सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक्: विहित रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:

परंतु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रीति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं

भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

11. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों या, यथास्थिति, अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत की जायेगी। तीन भर्ती वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

परन्तु,-

- (i) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।
- (ii) इस नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को पिछड़े वर्गों या, यथास्थिति, अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका पति/उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी।

13. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के

लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न-विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न-विवाह महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न-विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में नहीं भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग, जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न-विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

14. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में जो सीधी भर्ती के लिए निश्चित है, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा और इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण: उत्कृष्ट खिलाड़ियों से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने,-

- (i) नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:-

सारणी

क्र.सं.	अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय	टूर्नामेण्ट/ चैम्पियनशिप का नाम
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक खेल (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियाई खेल
3.	दक्षिण एशियाई ओलम्पिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल, सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाना जाता है
4.	कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (सी.जी.एफ.)	कॉमनवेल्थ गेम्स
5.	आई.ओ.सी. से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए. से संबद्ध एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप

8.	एशियाई स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप
----	---	-------------------------------

या

- (ii) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- (iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/ चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- (iv) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेण्ट के किसी खेलकूद और खेलों में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- (v) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों की नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स या नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

15. राष्ट्रीयता.-सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह:-

(क) भारत का नागरिक हो,या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो,या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो,या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया कोई तिब्बती शरणार्थी हो,या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार)जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो:

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

16. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता के लिए राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

17. रिक्तियों का अवधारण.- (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद नियम या अनुसूची में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद नियम या अनुसूची में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त खण्ड के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये, तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वोत्तर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा वर्ष-वार भरा जाना अपेक्षित था, अवधारित करेगा यदि, ऐसी रिक्तियां अवधारित नहीं की गयी हों और उस वर्ष में, जिनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

18. आयु.- अनुसूची-I में प्रगणित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

(i) ऊपरी आयु सीमा को,-

- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;
- (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा।

- (ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;
- (iii) किन्हीं अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा।
- (iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने बोर्ड के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे;
- (v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु उपर्युक्त विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;

- (vi) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत में सेवा दे रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;
 - (vii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली है हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;
 - (viii) विधवा और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।
- स्पष्टीकरण:** विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उनसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा; और
- (ix) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में सीधी भर्ती के लिए हकदार था/थी तो उसे आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा/जायेगी यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

19. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं:- अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,-

- (i) अनुसूची-1 के स्तम्भ 4 में यथा अधिकथित अर्हताएं और अनुभव।
- (ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु इन नियम या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु,-

- (क) जहां चयन, लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व;
- (ख) जहां चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व; और
- (ग) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

20. चरित्र:- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक

पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय से सम्बद्ध न हों और न ही उसके संबंधी हों।

टिप्पणः(1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सचचरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरहता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्कर्तृ सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए पूर्वदोषसिद्धि आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, उन्हें पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्कर्तृ देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, 'पश्चात्कर्तृ देखरेख गृह' के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्कर्तृ देखरेख गृह में अपने पश्चात्कर्तृ सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

21. शारीरिक उपयुक्तता.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए चिकित्सीय परीक्षा के आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

22. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज या दस्तावेजों को, जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित

साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थिति के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन जो भी हो काम में लेने का दोषी है या बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त, -

(क) बोर्ड द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा।

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

23. संयाचना.- इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

भाग-4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

24. सीधी भर्ती की आवृत्ति.- अनुसूची-1 के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक सरकार यह विनिश्चय न करे कि इन पदों में से किसी पद पर सीधी भर्ती किसी वर्ष-विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

25. आवेदन आमंत्रित करना.- बोर्ड द्वारा सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से जो ठीक समझी जाये, भरी जाने वाली रिक्तियां विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के वेतनमान में संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय, बोर्ड यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 100 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन से पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

26. आवेदन का प्ररूप.- आवेदन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और यदि आवश्यक हो उसे बोर्ड के सचिव से ऐसी फीस का संदाय करके, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

27. आवेदन फीस.- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा नियत फीस का ऐसी रीति से, जो उसके द्वारा उपदर्शित की जाये संदाय करेगा।

28. परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी और पाठ्य विवरण.- अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा, बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी।

29. आवेदनों की संवीक्षा.- बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

30. बोर्ड द्वारा चयन.- बोर्ड, लिपिक ग्रेड-II, आशुलिपिक और पुस्कालयाधक्ष ग्रेड-III के पद के लिए प्रतियोगी या, यथास्थिति, अर्हक परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची तैयार करेगा। संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए बोर्ड, इस प्रकार तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा:

परन्तु बोर्ड, अंततः प्रज्ञापित रिक्तियों की 50% की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए, बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेषित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर ऐसे अभ्यर्थियों के नाम की योग्यता क्रम में सिफारिश, ऐसी रीति में जो बोर्ड विनिश्चित करे, नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि,-

(i) लिपिक ग्रेड-II के पद के लिए बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो प्रतियोगी परीक्षा के चरण-I के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% अंक और चरण-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंकों के 5% तक का शिथिलीकरण दिया जायेगा।

(ii) आशुलिपिक के पद के लिए,-

(क) परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना के अध्यधीन रहते हुए, चरण-I के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रैंज में, समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने किसी निम्नतर रैंज के लिए वही अंक प्राप्त किये हों जो बोर्ड द्वारा नियत किये जा सकें।

(ख) यदि बोर्ड की यह राय हो कि, चरण-II में उपस्थित होने के लिए साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो, ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए बोर्ड द्वारा शिथिलित मानक लागू किया जा सकेगा ताकि चरण-II में उपस्थित होने के लिए उस प्रवर्ग के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जायें। इस

प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुनातक की विचार की समय-सीमा शिथिलित रहेगी। तथापि, चरण-II के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी केवल अपने-अपने प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

(ग) बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसने आशुलिपिक के पद की प्रतियोगिता परीक्षा में चरण-II में विकल्प में लिये गये प्रश्नपत्र में 20% से अधिक भूल/गलती की हो। तथापि, चरण-II में विकल्प में लिये गये प्रश्नपत्र में अधिकतम अनुज्ञात भूल/गलती में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।

(घ) यदि बोर्ड की यह राय हो, किसी भी प्रवर्ग में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बोर्ड, चरण-II में अधिकतम अनुज्ञात भूल/गलती को 5% तक और शिथिल कर सकेगा।

31. अंकों की पुनर्गणना.- (1) बोर्ड किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का ऐसी कालावधि के दौरान जो बोर्ड द्वारा उसके स्वविवेक से विनिश्चित की जाये, ऐसी फीस के संदाय पर जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, पुनर्गणना का आदेश कर सकेगा, किन्तु उत्तर-पुस्तिका के मूल्यांकन की पुनः परीक्षा नहीं की जायेगी।

(2) बोर्ड उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में अंको की पुनर्गणना में पायी गयी भूलों की सुधार के लिए कदम उठा सकेगा।

(3) यदि ऐसी परिशुद्धि के परिणामस्वरूप बोर्ड को यह पता चलता है कि अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र हो गया है, ऐसे तथ्य की रिपोर्ट, तुरंत प्रभाव से और किसी भी दशा में अंक-पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिन के अपश्चात् सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार ग्रुप-III) को दी जायेगी और इस सीमा तक, नियम 30 के अधीन बोर्ड की सिफारिश केवल उस सीमा तक उपांरित रहेगी।

32. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं:- (1) कोई अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु, -

- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (v) इस उप-नियम के उपबन्ध किसी विधवा और विवाह-विच्छिन्न महिला की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

33. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.- नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 10,11,12,13 और 14 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 30 के अधीन तैयार की गयी सूची में से योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी मामलों में उपयुक्त है।

भाग-5

पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया

34. समिति का गठन.- समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-

(i)	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य।	अध्यक्ष
(ii)	कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
(iii)	बोर्ड का सचिव	सदस्य-सचिव

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई अधिकारी संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य, या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

35. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) रिक्तियां अवधारित करने से संबंधित नियम के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चय करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे

वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता-सह-योग्यता या संबंधित पदों के वर्ग की योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) सुसंगत अनुसूची के, जिस पद से पदोन्नति की जानी है उससे संबंधित सुसंगत स्तंभ में प्रगणित व्यक्ति, चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव से संबंधित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तंभ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण: यदि किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संताने थी और उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्पूर्वी वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्पूर्वी पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।
 - (ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जायेगा:
- परन्तु राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगी:
- परन्तु यह और कि यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं

हैं तो उच्चतम पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगी:-

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के बराबर पात्र व्यक्ति।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां, अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की समय-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की समय-सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की समय-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिए,-

(क) यदि पदोन्नति समान वेतनमान एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो समान वेतनमान में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा;

(ख) यदि पदोन्नति भिन्न-भिन्न वेतनमान वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो उच्चतर वेतनमान में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि उच्चतर वेतनमान में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो केवल तब ही में निम्नतर वेतनमान में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की समय-सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथाविहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित जायेगी जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भी एक सूची तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्पूर्व वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए समिति की बैठक की गयी, प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्पूर्व वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनःनियत किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निर्देश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग(जहां आयोग सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया है, वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो सरकार द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

36. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर, या तो अर्जेंट अस्थायी आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-सह-पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग-6

नियुक्ति, वरिष्ठता, परिवीक्षा और स्थायीकरण

37. सेवा में नियुक्ति.- सेवा में के पद (पदों) पर नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 30 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 35 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

38. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति.- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, अर्जेंट अस्थायी आधार पर सरकार या, यथास्थिति,

नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,

(i) ऐसी कोई नियुक्ति, आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

(ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवाओं के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के सिवाय, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होते हुए भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा अपेक्षित आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

39. वरिष्ठता.- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी:

परन्तु,-

(i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के अधीन तैयार की गयी सूची में रखा गया है;

(ii) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही प्रवर्ग में पदों पर नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा;

(iii) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं;

(iv) एक ही चयन में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे ठीक निम्नतर ग्रेड में की है;

(v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दु पूर्ण हो जाते हैं तत्पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धांत का प्रयोग पदोन्नति में किया जायेगा जब कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां आयें हों।

स्पष्टीकरण: "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

40. परिवीक्षा की कालावधि.- (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की कोई कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने यदि अपेक्षित हो और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

41. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.- (1) इन नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि,-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो; और

(iii) वह अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति नियुक्त हुआ है।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उक्त उप-नियम में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह, उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा काल के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा/करेगी।

स्पष्टीकरण:- (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है:

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी नियुक्ति;
 - (ख) उस पद पर नियुक्ति जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान नहीं हो, यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर है तो भर्ती उनके परामर्श से की जायेगी;
 - (ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों;
 - (घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे:
- परन्तु इसमें ऐसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

- (ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

42. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

43. स्थायीकरण.-किसी परिवीक्षाधीन को, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

- (क) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, जब तक कि उसने उच्च विद्यालय या सैकण्डरी परीक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी में उत्तीर्ण न कर लिया हो; और
- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

44. वेतनमान.- सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का वेतन मैट्रिक्स के लेवल में वेतन वह होगा जो नियम 46 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

45. परिवीक्षा के दौरान वेतन.- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से, मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये:

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो अनुज्ञात किया जा सकेगा।

46. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, आदि का विनियमन.- इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी:-

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (अभिदाय) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (vii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित; और
- (viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

47. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो कार्मिक विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

48. निरसन और व्यावृत्ति.- समस्त नियम और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा अतिष्ठित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

49. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- आपवादिक मामलों में जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां बोर्ड की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग (क-गुप-2) की सहमति, जहां आवश्यक हो, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों

से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा बोर्ड द्वारा कार्मिक विभाग (क-ग्रुप-2) को निर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव/वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जायेगी कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो के अध्यधीन प्रदान की जायेगी।

अनुसूची-I
(लिपिकवर्गीय विंग)

ग्रुप-क

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति	सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक अनुभाग अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	-	लिपिक ग्रेड-I	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
2.	लिपिक ग्रेड-I	100% पदोन्नति द्वारा	-	लिपिक ग्रेड-II	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर स्नातक के मामले में 3 वर्ष का अनुभव और अन्य के मामले में 5 वर्ष का अनुभव	-
3.	लिपिक ग्रेड -II	85% सीधी भर्ती द्वारा और 15% पदोन्नति द्वारा	क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा; और ख. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा; और	-

		"ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क. ऑ. प्रो.स.)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (सा. प्र. क.सो) प्रमाणपत्र; या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र; या देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी प्रमाणपत्र, साथ में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन; या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज	ख. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क. ऑ. प्रो.स.)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (सा. प्र. क.सो) प्रमाणपत्र; या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर	
--	--	---	--	--

		कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (आरएससीआईटी); या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता स्पष्टीकरण: अभ्यर्थी द्वारा धारित कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।		विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र; या देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी प्रमाणपत्र, साथ में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन; या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (आरएससीआईटी); या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या	
--	--	--	--	---	--

					उच्चतर अर्हता स्पष्टीकरण: अभ्यर्थी द्वारा धारित कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा: परन्तु राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त विधवा को इन नियमों के उपबंधों के अधीन पदोन्नति के मामले में कम्प्यूटर अर्हता से छूट होगी; और ग. स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
--	--	--	--	--	--	--

गुप-ख

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता एवं	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये	अभ्युक्तियां
----------	-----------	--------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------	--------------

		भर्ती की रीति	अनुभव		न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अतिरिक्त निजी सचिव	100% पदोन्नति द्वारा	-	निजी सहायक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
2.	निजी सहायक	100% पदोन्नति द्वारा	-	आशुलिपिक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
3.	आशुलिपिक	प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, 100% सीधी भर्ती द्वारा	क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा; और ख. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क. ऑ.	-	-	-

			प्रो.स.)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (सा. प्र. क.सो) प्रमाणपत्र; या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र; या देश में मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी प्रमाणपत्र, साथ में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (आरएससीआईटी);			
--	--	--	---	--	--	--

			या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता स्पष्टीकरण : अभ्यर्थी द्वारा धारित कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।			
--	--	--	---	--	--	--

(अधीनस्थ विंग)

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति	सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्ति यां
1	2	3	4	5	6	7
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	100% सीधी भर्ती द्वारा	सीनियर सैकेण्डरी साथ ही सरकार /राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र /पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा	-	-	-
2.	मुख्य चालक	100% पदोन्नति द्वारा	-	वरिष्ठ चालक ग्रेड-I	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-
3.	वरिष्ठ चालक	100%	-	वरिष्ठ	स्तंभ 5 में	-

	गेड-।	पदोन्नति द्वारा		चालक	उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	
4.	वरिष्ठ चालक	100% पदोन्नति द्वारा	-	चालक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव	-
5.	चालक	90% सीधी भर्ती द्वारा और 10% पदोन्नति द्वारा	मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा और हल्के या भारी परिवहन यान चलाने के लिये विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित, जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो और चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और :- 1. चश्मे सहित या बिना चश्में की दृष्टि 6×6 हो; और 2. रास्ते में वाहन की छोटी मोटी मरम्मत का ज्ञान और वाहन चालन में दक्षता जिसकी जांच नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) द्वारा की जानी है।	विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा के सदस्य	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा और हल्के या भारी परिवहन यान चलाने के लिये विधि मान्य अनुज्ञप्ति धारित, जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो और चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और :- 1. चश्मे सहित या बिना चश्में की दृष्टि 6×6 हो, और 2. रास्ते में वाहन की छोटी मोटी मरम्मत का ज्ञान और वाहन चालन में दक्षता जिसकी जांच नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड	

					टेस्ट) द्वारा की जानी है।	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

अनुसूची-2**भाग 1****आशुलिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण**

परीक्षा की स्कीम : प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र उसके सामने दर्शित अंको का होगा, अर्थात् :-

चरण 1:

प्रश्नपत्र	विषय	परीक्षा की अवधि	अंक
1.	सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान	3 घंटे	50
	राजस्थान का सामान्य ज्ञान		50
2.	सामान्य हिंदी और अंग्रेजी	3 घंटे	100

चरण-II : अभ्यर्थी निम्नलिखित दो प्रश्नपत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे:-

क्र.सं.	प्रश्नपत्र	परीक्षा की अवधि	अंक
1.	अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण (परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	100
	श्रुतिलिखित गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण	60 मिनट	
2.	हिन्दी आशुलिपि परीक्षण (परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	100
	श्रुतिलिखित गद्यांश का कंप्यूटर पर हिन्दी में प्रतिलेखन और टंकण	70 मिनट	

स्पष्टीकरण :

- प्रश्नपत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा का है। परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र का पाठ्यविवरण और विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को उसकी सूचना नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से दी जायेगी जो बोर्ड उचित समझे।
- प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों, चरण-I और चरण-II में आयोजित की जायेगी। समस्त प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- बैचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूडी) की दशा में, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसा वांछनीय हो, बोर्ड द्वारा विनिश्चित नियमों के अनुसार चरण-I की परीक्षा में लेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि बैचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों की चरण-II परीक्षा में आशुलिपि परीक्षण में लेखक की सुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी।
- आशुलिपि परीक्षण के लिये बोर्ड, कंप्यूटर और आशुलिपि पुस्तिका उपलब्ध करायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को स्वयं का की बोर्ड लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तथापि, बैचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों में

(पीडब्लूडी) के प्रवर्ग 'अंधता और अल्प दृष्टि' को आशुलिपि श्रुतिलेख लेने के लिये स्वयं की स्लेट/मशीन लाने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

5. चरण-।। परीक्षा से बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूडी) को, कंप्यूटर पर श्रुतिलिखित गद्यांश के प्रतिलेखन और टंकण के लिए परीक्षा के 15 मिनट का प्रतीकरात्मक समय दिया जाएगा।
6. चरण-।। में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से संबंधित उपबंधों और प्रत्येक चरण के उत्तीर्ण होने के मानक, इन विनियमों के विनियम 30 के अनुसार होंगे।
7. परीक्षा के चरण-। और चरण-।। में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके अंतिम योग्यता क्रम को अवधारित करने के लिए गिने जायेंगे।
8. जो अभ्यर्थी हिंदी में आशुलिपि परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उनसे उनकी नियुक्ति के पश्चात् अंग्रेजी आशुलिपि और विपर्ययेन सीखने की अपेक्षा की जायेगी और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के कौशल परीक्षण के माध्यम पर विचार किये बिना, कार्यालय की कृत्यात्मक आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों की अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा जिसकी विफलता पर नियुक्ति विभागों द्वारा उनकी परिवीक्षा पूरी नहीं की जायेगी।

भाग-।।

लिपिक ग्रेड-।। के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

परीक्षा की स्कीम: प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात् :-

चरण	प्रश्नपत्र	अवधि	अंक
चरण-।	1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। 2. सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी।	3 घण्टें 3 घण्टें	100 100
चरण-।।	दिव्यांगजनों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए:- 1. कंप्यूटर पर हिन्दी में टंकण (क) गति परीक्षण (ख) दक्षता परीक्षण 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण (क) गति परीक्षण (ख) दक्षता परीक्षण	10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट	25 25 25 25

बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा चरण-। में प्राप्त औसत अंक दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :

- (1) बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूडी) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अधीन लिपिक ग्रेड-।। के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र है।
- (2) इस प्रकार दिव्यांग होने के प्रमाणस्वरूप अभ्यर्थी से, परीक्षा में उपस्थित होने के लिये आयोग को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

- (3) प्रश्नपत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा का है। परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम वह होगा जो आयोग समय-समय पर विहित करे और उसे, अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जो आयोग उचित समझे।
- (4) प्रतियोगी परीक्षा दो चरण में, चरण-I और चरण-II में आयोजित की जायेगी। चरण-I के समस्त प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- (5) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अध्यक्षीन चरण-I में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रैंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के चरण-I और चरण-II में प्राप्त अंकों की गणना उनकी अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिये की जायेगी।
- (6) किसी अभ्यर्थी के लिये कंप्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा और वह परीक्षण के लिये अपने स्वयं का कंप्यूटर, पेन और पेन्सिल लायेगा।

भाग 3

पुस्तकालयाध्य ग्रेड-III के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

परीक्षा 400 अंकों की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। दोनों प्रश्नपत्र में से प्रत्येक 200 अंक का होगा।

प्रश्नपत्र - I

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि दो घण्टों की होगी।
3. प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये उस विशिष्ट प्रश्न के लिये विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

5. न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पाँच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।
6. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे।
 - (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
 - (ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
 - (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
 - (iv) शिक्षा मनोविज्ञान ।

प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार:- परीक्षा के लिये प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र-II: ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
- (2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे होगी।
- (3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
- (4) उत्तरों के मुल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये, उस विशिष्ट प्रश्न के लिये विहित अंको का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

(5) न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पाँच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-

(i) ज्ञान जगत

संरचना और गुण

विषय निर्माण के तरीके

विषयों के विभिन्न प्रकार

विषयों का ज्ञान जगत जैसा विभिन्न स्कीमों के वर्गीकरण में रेखांकित किया गया है।

(ii) ग्रंथ सूची विवरण

ओपेक नियमों को सम्मिलित करते हुए सूची प्रयोजन, संरचना एवं भौतिक स्वरूप के प्रकार।

सूचीकरण के नियामक सिद्धान्त।

प्रलेखीय विवरणों में प्रचलन के सिद्धान्तों का विहंगम दृष्टिकोण।

मानकीकरण, विवरण और विनिमय में वर्तमान रुझान।

सूचीकरण की मानक संहिता।

(iii) ज्ञान संगठन की रीतियां

पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धान्त।

वर्गीकरण और उनके लागू होने का नियामक सिद्धान्त।

पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार।

वर्गीकरण की मानक स्कीमें और इनकी विशेषताएं ‘‘सी. सी., डी. डी. सी., यू. डी. सी.’’ ।

नोटेशन: आवश्यकता, कृत्य, विशेषताएं।

पुस्तकालय वर्गीकरण की स्कीमों का डिजाइन और विकास, मानक उप-प्रभाग सूचक।

पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान।

(iv) विषय वर्गीकरण

विषय वर्गीकरण के सिद्धान्त।

विषय शीर्ष सूचियां और उनकी विशेषताएं।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार: परीक्षा के प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया

जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

[सं. एफ.19(1)डीओपी/ए-II/2022]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 17, 2025

G.S.R.88 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Ministerial and Subordinate Service of the Rajasthan Staff Selection Board, namely:-

PART-I GENERAL

1. Short title, commencement and application.- (1) These rules may be called the Rajasthan Staff Selection Board (Ministerial and Subordinate Services) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall not apply to the posts governed by the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, except as provided in those rules.

2 Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) **“Appointing Authority”** means the Secretary to the Board;
- (b) **“Board”** means the Rajasthan Staff Selection Board;
- (c) **“Chairman”** means the Chairman, Rajasthan Staff Selection Board;
- (d) **“Commission”** means the Rajasthan Public Service Commission;
- (e) **“Committee”** means the committee referred to in rule 34;
- (f) **“Direct Recruitment”** means recruitment made in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules;
- (g) **“Government”** means the Government of Rajasthan;
- (h) **“Member of the service”** means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or order superseded by these rules;
- (i) **“Schedule”** means the schedule appended to these rules;
- (j) **“Secretary”** means the person appointed as such and includes a person performing for the time being the duties of the Secretary to the Board;
- (k) **“Service”** means the Rajasthan Staff Selection Board (Ministerial and Subordinate) Services;
- (l) **“State”** means the State of Rajasthan;
- (m) **“Service”** or **“Experience”** wherever prescribed in these rules as a condition for promotion

from one service to another or within the service from one category to another or to senior posts, in the case of a person holding a lower post eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post after regular selection in accordance with rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India.

NOTE: Absence during service e.g. training, leave and deputation etc. which are treated as “duty” under the Rajasthan Service Rules, 1951 shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

- (n) **“Substantive appointment”** means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any method of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer followed by confirmation on the completion of the probationary period.

NOTE: Due selection by any method of recruitment prescribed under these rules will include recruitment either or initial constitution of service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India, except urgent temporary appointment; and

- (o) **“Year”** means the financial year.

3 Interpretation.- Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act No. VIII of 1955 shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

PART-II CADRE

4. Composition and strength of the service.- (1) The nature of the posts included in the service shall be as specified in column 2 of the Schedule-I.

2. The strength of posts of the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that the Government may,-

- (a) create any post, permanent or temporary, from time to time, as may be found necessary and may abolish or allow to lapse any such post in the like manner without thereby entitling any person to any compensation; and
- (b) leave unfilled or hold in abeyance any post, permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

5. Constitution of the service.- The service shall consist of,-

- (a) all employees holding substantively the posts specified in the Schedule-I; and
- (b) all persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

PART-III RECRUITMENT

6 Method of recruitment.- (1) Recruitment to the posts in the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods:-

- (a) by direct recruitment in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules; and

- (b) by promotion in accordance with the procedure prescribed in Part-V of these rules:

Provided that if the Appointing Authority is satisfied that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment or in the proportion, so indicated in column number 3 of Schedule-1 in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion, may be made in the same manner as specified in these rules.

(2) Recruitment to the service by the aforesaid method shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the rules/ schedule of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules the recruitment, promotion, seniority, and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/ Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government, from time to time, provided that these are regulated mutatis-mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

7. Compassionate appointment of dependents of the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces(CAPF) and Indian Coast Guard.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies subject to fulfillment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under these rules with the concurrence of Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission, if the post falls within the purview of the Commission, of the,-

(i)

Posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.01.1972, in any defence operations including counter insurgency/counter terrorism operations and declared Battle Casualty by the Ministry of Defence, Government of India;

(ii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Armed Forces who was or is a bonafide resident of the State and died/dies or became/becomes permanently incapacitated in any incident on or after 01.04.1999 and declared Physical Casualty by the Competent Authority of respective Headquarters of the Armed Forces; and

(iii) posts upto level in pay matrix L-10 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a member of Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who was or is a bonafide resident of the State and died/ dies or became/becomes permanently incapacitated on or after 01.04.1999 in any defence operations including counter insurgency/counter terrorism operations and declared Operational Casualty by the Ministry of Home/Defence, Government of India:

Provided that,-

- (a) the permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard who are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government then the employment shall be given to them.

- (b) the widow/ widower or the dependent of deceased or permanently incapacitated personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility.

(2) Appointment shall not be given to such dependent or any of the other dependents of the Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard, if any one of the dependents is already employed on regular basis under the Central Government, any State Government or Statutory Board/Organization/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central or any State Government at the time of death of personnel or permanent incapacitation of personnel of Armed Forces, Central Armed Police Force (CAPF) and Indian Coast Guard:

Provided, that this condition shall not apply where the incapacitated person or widow/ widower seeks employment for himself/ herself.

(3) Permanently incapacitated personnel/such dependent shall submit an application for the appointment to Zila Sainik Kalyan Adhikari and the Zila Sainik Kalyan Adhikari shall process with concerned Record Office/Designated Office/Service Headquarters of the personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard for verification. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that respective Service HQ/Records Office/Designated office duly verifies and the applicant fulfills the academic qualifications, experience and age limit prescribed for a particular post and also otherwise qualified for the Government Service.

(4) After fulfilling conditions mentioned in sub-rule (3) above, the application of such dependent/permanently incapacitated personnel shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the permanently incapacitated personnel/dependent. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any of districts under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

(5) The application shall contain the following information, namely:-

- (a) Name and designation of deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard;
- (b) Unit in which he/she was serving prior to death/becoming permanently incapacitated;
- (c) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him/her a Battle Casualty/ Operational Casualty/ Physical Casualty ;
- (d) Certificate of permanent incapacitation (Disability Certificate); and
- (e) Name, date of birth, educational qualifications of the applicant and his/her relation with the deceased/permanently incapacitated personnel (Battle Casualty/Operational Casualty / Physical Casualty).

Explanation: For the purpose of this rule,-

- (i) "**Armed Forces**" means the Army, Navy and Air Force of the Indian Union.
- (ii) "**Central Armed Police Forces (CAPF)**" means Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, Central Industrial Security Force, National Security Guard, Assam Rifles, Sashastra Seema Bal,

as the case may be notified by the Central or State Government, from time to time.

(iii) **"Indian Coast Guard"** means the force to ensure the security of Indian Coastal Regions and are working under the Ministry of Defence, Government of India.

(iv) **"Dependent"** means,-

(a) Spouse, or

(b) Son/son adopted by the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before the time of his/her death/ permanent incapacitation; or

(c) Unmarried daughter/unmarried adopted daughter, widowed daughter/ divorced daughter who is wholly dependent on deceased/ permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF), Indian Coast Guard before his/ her death/permanent incapacitation; or

(d) Married daughter, if no other dependents of the deceased/permanently incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard mentioned in clause (b) and (c) above is available; or

(e) Mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried deceased/permanent incapacitated personnel of Armed Forces, Central Armed Police Forces (CAPF) and Indian Coast Guard;

Note: Adopted son/daughter" means legally adopted son/ daughter under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. For dependents belonging to other than Hindu religion, case will be referred to Department of Personnel (A-II) for necessary clarification.

(v) **"Permanently incapacitated"** means a soldier / person having minimum 40% disability and who has been declared permanently incapacitated by the respective Approving and Confirming Medical Authority of Army, Indian Navy, Indian Air Force, Central Armed Police Forces (CAPF) or Indian Coast Guard, as the case may be.

8. Compassionate appointment of dependents of the deceased persons, who died or deceased died after missing in Uttarakhand tragedy 2013.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules the Appointing Authority may fill the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground to one of the dependents of a person who was bonafide resident of the State of Rajasthan and died in the Uttarakhand tragedy-2013 or declared dead after missing in such tragedy of 2013, subject to the condition that,-

- (i) the dependent must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and
- (ii) the dependent fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post:

Provided that the procedural requirement for selection such as,-

- (a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependent shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;

- (b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The dependents shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer in any one language, either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid.

Provided further that the widow appointed under the provisions of these rules shall be exempted from having computer qualification and passing the typing test on computer.

Provided also that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

(2) Appointment shall not be given to such dependent, if any one of the dependents of such deceased or declared as dead after missing is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board/Organisation/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/any State Government at the time of death of the deceased or declaration of death of missing person:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

Provided further that in case, the number of persons who died or declared dead after missing are more than one of any family, only one dependent shall be considered for appointment on compassionate ground.

(3) Such dependent shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. The District Collector shall forward the application with his recommendations to the Disaster Management, Relief & Civil Defence Department for verification. After the verification of death or declaration of death of such deceased, the application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who will arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation: For the purpose of this rule Dependent means,-

- (a) spouse; or
- (b) son including son legally adopted by the person died or declared dead after missing during his/her life time; or
- (c) unmarried/widowed/divorced daughter including legally adopted daughter by the person died or declared dead after missing during his/her life time; or

- (d) married daughter, if no other dependent mentioned in clause (ii) and (iii) above is available; or
- (e) mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried person died or declared dead after missing, who was wholly dependent on the person died or declared dead after missing at the time of his/her death.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule persons who were appointed in pursuance of relief package dated 29-07-2013 issued by the Disaster Management and Relief Department shall be deemed to be appointed under the provisions of this rule from the date of commencement of the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2022, if they are otherwise eligible for appointment under this rule.

9. Compassionate appointment to candidates who became orphan due to Corona Virus infectious Disease (Covid-19).- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the post upto level in pay matrix L-9 to be filled in by direct recruitment by appointing a candidate who became orphan due to Covid-19 on compassionate ground, subject to the conditions that,-

- (i) the candidate must be a bonafide resident of the State of Rajasthan; and
 - (ii) the candidate fulfills academic and other qualifications and other conditions prescribed under these rules for respective post.
- (2) The procedural requirement for selection and appointment such as,-
- (a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;
 - (b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer either in English or in Hindi, within a period of three years, unless the period is relaxed by Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he/she acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid:
- Provided that the person with benchmark disability appointed under the provisions of this rule shall be exempted from passing the typing test on computer.

(3) Appointment shall not be given to such orphan, if any member of his family is already employed on regular basis under the Central Government or any State Government, Statutory Board, Organisation or Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central Government or any State Government at the time of death of his/her parents or at the time of appointment of such orphan.

(4) If the orphan is not in a position to take up employment immediately being a minor, employment may be given to him on attaining the age required for appointment on the post.

(5) Such orphan shall submit an application for appointment to the District Collector concerned. In the event of non-availability of vacancy in the district concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional

Commissioner, the application shall be referred by the Divisional Commissioner to the Department of Personnel (A-II) for providing appointment.

Explanation: For the purpose of this rule orphan means a person who has not attained the age of eighteen years at the time of death of his biological or adoptive parents who (both) have died due to Corona on or before 31.03.2023 or one of the parents had died in the past and the other died due to Corona on or before 31.03.2023 and who was wholly dependent on the parents at the time of their death.

10. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.- (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provisions of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 at the time of recruitment i.e. by direct recruitment or by promotion.

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority-cum merit and merit.

(3) In filling the vacancies so reserved the eligible candidate who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appeared in the list prepared for direct recruitment by the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be and the Departmental Promotion Committee or the Appointing Authority, as the case may be, in the case of promotion, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Appointment shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forwarded until the suitable Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available in any circumstances no vacancy reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes

candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of the category become available:

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre of service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules.

11. Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes.- Reservation of vacancies for Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Backward Classes and More Backward Classes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that,-

- (i) if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this rule.
- (ii) filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Backward Classes and More Backward Classes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

12. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.- Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule 'Economically Weaker Sections' shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

13. Reservation of vacancies for women.- Reservation of vacancies for women candidates shall be 30% category wise in the direct recruitment out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non-availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non-availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the

subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

14. Reservation of vacancies for Outstanding Sports persons.- Reservation of vacancies for Outstanding Sports-persons shall be 2% of the total vacancies outside the purview of the Commission in that year earmarked for direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable sports persons in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and such vacancies shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for Sports persons shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sports persons belong.

Explanation: Outstanding Sports persons shall mean sportspersons who are bonafide resident of the State of Rajasthan and,-

- (i) represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table:-

TABLE

S. No.	International Sports Body	Name of the Tournament/Championship
1.	International Olympic Committee (IOC)	Olympic Games (Summer)
2.	Olympic Council of Asia (OCA)	Asian Games
3.	South Asian Olympic Council (SAOC)	South Asian Games, commonly known as SAF Games
4.	Commonwealth Games Federation (CGF)	Commonwealth Games
5.	International Sports federation affiliated to IOC	World Cup/World Championship
6.	Asian Sports Federation affiliated to OCA	Asian Championship
7.	International School Sports Federation (ISSF)	International School Games /Championship
8.	Asian School Sports Federation (ASSF)	Asian School Games/ Championship

OR

- (ii) medal winner in the individual or in team event in any School National Games of any Sports and games organized by the School Games Education of India.

OR

- (iii) medal winner in the individual or in team event in any national tournament/championship of any sports and game, organized by the Indian Olympic Association or its affiliated National Sports Federation (NSF)

OR

- (iv) medal winner in the all India inter universities in individual event or in team event in the any sports and games, organized by the association of Indian universities.

OR

- (v) represented Rajasthan in individual or in a team event in national games/national para games or national championship/para national championship of any sports and games, organized by Indian Olympic Association/Para Olympic Committee of India or its affiliated National Sports federation.

15. Nationality.- A candidate for appointment to the service must be,-

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India in the Department of Home affairs and Justice after proper verification.

16. Conditions of eligibility of persons migrated from other countries to India.-

Notwithstanding anything contained in these rules, provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to Nationality, age limit and fee or other concessions to a person who may migrate from other countries to India with the intention of permanently settling in India, shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government from time to time and the same shall be regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

17. Determination of vacancies.- (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.

(2) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in the rule or schedule, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(3) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in the rules or schedule, the apportionment of vacancies, determined under clause above to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the over-all number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over, after apportionment of the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(4) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier years, year-wise which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

18. Age.- A candidate for direct recruitment to a post enumerated in Schedule-I must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January next following the last date, fixed for receipt of applications:

Provided that,-

- (i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-
 - (a) 5 years in the case of male candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections;
 - (b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General category; and

- (c) 10 years in the case of woman candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections.
- (ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex- prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules;
- (iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over-age before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules;
- (iv) the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age-limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Board and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;
- (v) the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the Service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed above by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit;
- (vi) the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporation in substantive capacity shall be 40 years;
- (vii) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army, shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Recruitment Board. had they been eligible as such the time of their joining the Commission in the Army.
- (viii) there shall be no upper age limit in the case of widows and divorced woman.
Explanation: In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce; and
- (ix) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years.

19. Academic and technical qualification.- A candidate for direct recruitment to the posts specified in Schedule-I shall possess,-

- (i) the qualifications and experience as laid down in column 4 of Schedule-I.
- (ii) working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in the rules or Schedule for direct recruitment, shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency,-

- (a) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview;
- (b) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview; and

- (c) before appearing in the written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

20. Character.- The character of a candidate for direct recruitment to the Service, must be such as to qualify him for employment in the service. He must produce a certificate of good character from the Principal Academic Officer of the University or College or School in which he was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application, from two responsible persons not connected with his College or University or School and not related to him.

Note: (1) A conviction by a court of law need not itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association, with crimes of violence or with a movement which has as its object to over throw by violent means of the Government as by law established, the mere conviction need not be regarded as disqualification.

- (2) Ex-prisoners who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct, have proved to be completely reformed should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for purpose of employment in the service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, 'After Care Home' or if there are no such Homes in a particular District from the Superintendent of Police of that District.
- (3) Those convicted of offences involving moral turpitude shall be required to produce a certificate from the Superintendent, "After Care Home" or if there is no such homes in a particular District, from the Superintendent of Police of that District, endorsed by the Inspector General of Prisons, to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

21. Physical Fitness.- A candidate for direct recruitment to the service must be in good mental and bodily health and free from any mental and physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate or who is already serving in connection with the affairs of the State if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him are held to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpose.

22. Employment of irregular or improper means.- A candidate who is or has been declared by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or of using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period,-

- (a) by the Board from admission to any examination; and
(b) by the Government from employment under the Government.

23. Canvassing.- No recommendation for recruitment either written or oral other than that

recruited under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by any means may disqualify him for recruitment.

PART-IV

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

24. Frequency of direct recruitment.- A competitive examination for recruitment to the posts mentioned in column number 2 of Schedule-I shall be held at least once a year unless the Government decides that a direct recruitment for any of these posts shall not be held in any particular year.

25. Inviting of applications.- Applications for direct recruitment to the post in the service shall be invited by the Board by advertising the vacancies to be filled in, in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the State Government from time to time during the period of probation and the scale of pay of the post as shown elsewhere in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in the respective recruitment rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies so advertised, the Board may, if intimation of additional requirement not exceeding 100% of the advertised vacancies, is received by it before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement.

26. Form of application.- The application shall be made in the form approved by the Board and if required obtainable from the Secretary to the Board on payment of such fee as the Board may, from time to time, fix.

27. Application fee.- A candidate for direct recruitment to a post in the service must pay the fee fixed by the Board in such manner as may be indicated by it.

28. Authority for conducting the examination and syllabus.- The examination shall be conducted by the Board in accordance with the scheme and syllabus of examination specified in Schedule-II.

29. Scrutiny of applications.- The Board or the Appointing Authority, as the case may be, shall scrutinize the applications received by it and require, as many candidates qualified for appointment under these rules as seem to it desirable, to appear in written examination:

Provided that decision of the Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

30. Selection by the Board.- The Board shall prepare category wise merit list of the candidates declared successful in the Competitive/ Qualifying examination, as the case may be, for the post of Clerk Grade-II, Stenographer and Librarian Grade-III. The Board shall forward the lists so prepared to the Appointing Authority for appointment to the post concerned:

Provided that the Board may to the extent of 50% of the finally intimated vacancies keep names of the suitable candidates on the reserve list. The names of such candidates may, on receipt of requisition within one year from the date on which the original list is forwarded by the Board to the Appointing Authority in such manner as the Board may decide, be recommended in the order of merit to the Appointing Authority for appointment against additional vacancies.

Provided further that,-

- (i) for the post of Clerk Grade-II, the Board shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks in each of the paper of the Phase-I and a minimum of 36% marks in each of the paper of the Phase-II of the competitive examination. However relaxation in minimum marks upto 5% shall be given in each paper of each phase of examination to the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes categories.
- (ii) for the post of Stenographer,-
 - (a) the candidates securing minimum 40% marks in each of the paper of Phase-I shall only be admitted to the Phase-II subject to fifteen times the total approximate number of vacancies to be filled in the year through the examination but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed by the Board for any lower range will be admitted to the Phase-II .
 - (b) if the Board is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to reserved category are not available on the basis of general standard for appearing in the Phase-II, relaxed standard may be applied by the Board for admitting candidates belonging to such reserved category so that sufficient number of candidates in that category are available to appear in the Phase-II. For this purpose, the zone of consideration of 15 times the total approximate number of vacancies shall stand relaxed. However, candidates so additionally qualified for the Phase-II will be eligible for selection to the posts reserved for respective categories only.
 - (c) the Board will not recommend any candidate who makes more than 20% mistakes/error in the paper opted in Phase-II of the competitive examination for the post of Stenographer. However relaxation in maximum permissible mistakes/error in paper opted in Phase-II, upto 5% shall be available to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category candidates.
 - (d) if the Board is of the opinion that sufficient number of candidates are not available in any category, Board may further relax maximum permissible mistakes/error upto 5% in Phase-II.

31. Re-totalling of marks.- (1) The Board may order re-totalling of the marks obtained by a candidate during such period as may be decided by the Board in it's discretion on payment of such fee as may be fixed by the Board from time to time but evaluation of the answer paper shall not be re-examined.

(2) The Board may take steps to rectify such mistakes as are detected on re-totalling of the marks in pursuance of the provisions of sub-rule (1).

(3) If as a result of such rectification the Board discovers that the candidate becomes eligible for selection, such fact shall be immediately and in any case not later than 40 days from the date of issue of the marks-sheet, reported to the Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms (Administrative Reforms Group III) and to that extent the recommendation of the Board made under rule 30 shall stand protanto modified.

32. Disqualifications for appointment.- (1) No candidate who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Appointing Authority after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(2) No candidate who is married to a person having already a spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Appointing Authority after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she at the time of his/her marriage or at any time thereafter accepted any dowry.

Explanation: For purpose of this rule “dowry” has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961(Central Act. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1-6-2002:

Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
- (v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women.

33. Selection by Appointing Authority.-Subject to the provisions of rule 10, 11, 12,13 and 14 the Appointing Authority shall select candidate in the order of merit in the list prepared under rule 30:

Provided that the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that such candidate is suitable in all other respects for appointment the post concerned.

PART-V

PROCEDURE FOR SELECTION BY PROMOTION

34. Constitution of the Committee.- The constitution of Committee shall be as under:-

(i)	Chairman of the Commission or a member there of nominated by him.	Chairman
(ii)	Principal Secretary to the Government in the Department of Personnel or a member there of nominated by him not below the rank of Deputy Secretary.	Member
(iii)	Secretary to the Board	Member-Secretary

Provided that in case any officer constituting the Committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding the charge of the post for the time being shall be the Member or Member-Secretary, as the case may be, of the Committee.

35. Criteria, eligibility and procedure for promotion.- (1) As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule regarding determination of vacancies of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall subject to the provisions of sub-rule (6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority cum merit or on the basis of merit to the class of posts concerned.

(2) The persons enumerated in column relevant column regarding post from which promotion is to be made, of the relevant Schedule shall be eligible for promotion to post (s) specified against them in column number 2 thereof to the extent indicated in column number 3 subject to their possessing minimum qualification and experience, on the first day of the month of April of the year of section as specified in column regarding minimum qualification and experience for promotion.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

Explanation: In case direct recruitment to a post has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year, such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) The person who has more than two children on or after 1st June 2002 and his/her promotion becomes due shall be considered for promotion from the date on which his/ her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per the provisions of this sub-rule:

Provided that,-

- (i) the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1 June, 2002 does not increase.
- (ii) where a person has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(5) Selection for promotion on the post included in the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that promotion on the highest post in the State service, if it is at least third promotion shall be made on the basis of merit alone.

Provided further that if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the highest post(s) strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the highest post(s) on the basis of seniority cum merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) The zone of consideration of persons eligible for promotion shall be as under:-

(i)

Number of vacancies	Number of eligible persons to be considered
(a) for one vacancy	five eligible persons
(b) for two vacancies	eight eligible persons
(c) for three vacancies	ten eligible persons

(d) for four or more vacancies	three times the number of vacancies
--------------------------------	-------------------------------------

- (ii) Where, the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above, all the persons so eligible shall be considered.
- (iii) Where, adequate number of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the zone of consideration specified above, the zone of consideration may be extended upto seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be (and not any other) coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.
- (iv) For any post in the Service,-
- (a) if promotion is from more than one categories of posts in the same pay scale, eligible persons upto two in number from each category of posts in the same pay scale shall be considered for promotion;
- (b) if promotion is from more than one categories of posts carrying different pay scales, eligible persons in the higher pay scale shall be considered for promotion first and if no suitable person is available for promotion on the basis of merit or seniority cum merit, as the case may be, in the higher pay scale than only the eligible persons of other categories of posts in lower pay scales shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.
- (7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.
- (8) The Committee shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post (s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post(s) from which selection is made.
- (9) The Committee shall also prepare a list on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules, containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies, which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit shall be arranged in the order of seniority in the category of posts from which selection shall be made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Committee is held.
- (10) List prepared under sub-rule (8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports and other Service Records of all the candidates included in the list as also of those not selected, if any.
- Explanation:** For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he/she does not have “Outstanding or very Good” record of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.
- (11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules, vacancies relating to any earlier year are determined under these rules, which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the cases of all such persons who would have been eligible in the

year to which the vacancies relate irrespective of the year in which meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the service/experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he has not actually performed the duties of the post to which he would have been promoted, shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re-fixed at the pay which he would have derived at the time of his promotion, but no arrears of pay shall be allowed to him.

(12) The Government or the Appointing Authority may order for the review of the proceeding of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of record, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/ direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the confidential reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission (where Commission is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review Committee.

(13) Where consultation with the Commission is necessary the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along-with the Personal Files and Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(14) The Commission shall consider the lists prepared by the committee along-with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary, shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modifications, as may in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is an authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under the preceding sub-rule (14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remain in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension, or against whom departmental proceeding is under progress, at the time promotions are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceeding.

(17) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of these rules.

36. Restriction of promotion of persons foregoing promotions.- In case a person on his/her appointment by promotion to the next higher post either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, forgoes such an appointment through his/her written request and if the concerned Appointing Authority accepts his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent, temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Departmental Promotion Committee is held and the name of such person who forgoes promotion shall not be included in seniority-cum-eligibility list to be placed before the Departmental Promotion Committee for subsequent two recruitment years.

PART-VI

APPOINTMENT, SENIORITY, PROBATION AND CONFIRMATION

37. Appointment to the service.- Appointment to post(s) in the service by direct recruitment as probationer trainees on fix remuneration or by promotion, as the case may be, shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the candidates selected in order of merit under rule 30 and by promotion from the persons selected under rule 35.

38. Urgent temporary appointment.- (1) A vacancy in the service which cannot be filled in immediately either by direct recruitment or by promotion under these rules, may be filled in on urgent temporary basis by the Government or by the authority competent to make appointments as the case may be, by appointing in an officiating capacity thereto an officer eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the services, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules:

Provided that,-

- (i) such an appointment shall not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence, where such concurrence is necessary and shall be terminated immediately on its refusal to concur.
- (ii) in respect of the service or a post in the service for which both the methods of recruitment have been prescribed, the Government or the Appointing Authority, as the case may be, competent to make appointment, shall not, save with the specific permission of the Government in the Department of Personnel in the case of State Services and Government in the Administrative Department concerned in respect of other services, fill the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole-time appointment for a period exceeding three months, other-wise than out of persons eligible for direct recruitment and after a short-term advertisement.

(2) In the event of non-availability of suitable persons fulfilling the requirements of eligibility for promotion, Government may, notwithstanding the condition of eligibility of promotion required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointments shall however be subject to concurrence of the Commission as required under the said sub-rule.

39. Seniority.- Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on adhoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) the inter-se-seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection, except those who do not join service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared of these rules.
- (ii) if two or more persons are appointed to posts in the same category in the same year, a person appointed by promotion shall be senior to a person appointed by direct recruitment.
- (iii) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as

a result of subsequent selection.

- (iv) seniority inter-se of persons selected on the basis of seniority cum merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next lower level.
- (v) reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority shall continue till the roster points are exhausted and adequacy of promotion is achieved. Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occurs.

Explanation: "Adequate representation" means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

40. Period of probation.- (1) A person entering in the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as Probationer-trainee for a period of two years:

Provided that any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of Probation specified in sub-rule (1) each probationer trainee may be required to pass such Departmental Examination, if required and to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

41. Confirmation in certain cases.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding rule, a person appointed to a post in the service by direct recruitment as a probationer trainee under these rules has not been confirmed within six months after satisfactory completion of probation for a period of two years shall be entitled to be treated as confirmed in accordance with his/her seniority if,-

- (i) he/she has worked on the post or higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his/her deputation or training;
- (ii) he/she fulfills conditions as are prescribed under rule relating to confirmation subject to the quota prescribed under these rules; and
- (iii) he has been appointed against a substantive vacancy.

(2) If an employee referred to in sub rule (1) above fails to fulfill the conditions mentioned in the said sub-rule the period mentioned in the said sub-rule may be extended as prescribed for a probationer trainee under the Rajasthan Civil Services (Departmental Examinations) Rules, 1959 and any other rules or by one year, whichever is longer. If the employee still fails to fulfill the conditions mentioned in sub-rule (1) above, he shall be liable to be discharged or terminated from such post in the same manner as a probationer trainee or reverted to his substantive or lower post, if any to which he may be entitled.

(3) The employee referred to in sub-rule (1) above, shall not be debarred from confirmation after the said period of service if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his/her work are communicated to him/her within the said period of service.

(4) The reasons for not confirming of any employee referred to in sub-rule (1) above shall be recorded by the appointing authority in his/her Service Book and Annual Performance Appraisal Report.

Explanation: (i) Regular recruitment for the purpose of this rule shall mean,-

- (a) appointment by either method of recruitment or on initial constitution of service in accordance with the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution of India.
- (b) appointment to the post for which no Service Rules exist, if the post is within the purview of the Commission, recruitment in consultation with them;

- (c) appointment by transfer after regular recruitment where the Service Rules specifically permit; and
- (d) persons who have been made eligible for substantive appointment to a post under these rules shall be treated as having been regularly recruited:

Provided that it shall not include urgent temporary appointment or officiating promotion which is subject to review and revision.

- (ii) Persons who hold lien on another cadre shall be eligible to be confirmed under this rule and they will be eligible to exercise an option whether they do not elect to be confirmed on the expiry of two years of their temporary appointment under this rule. In the absence of any option to the contrary they shall be deemed to have exercised option in favour of confirmation under this rule and their lien on the previous post shall cease.

42. Unsatisfactory progress during probation.- If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at end of the period of probation, that a probationer- trainee are not found to be satisfactory, the appointing authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as probationer trainee or in other case may discharge or terminate him/her from service. The appointing authority shall accord appropriate opportunity to the probationer-trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any probationer-trainee by a specified period not exceeding one year.

43. Confirmation.- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation, if,-

- (a) he has passed a departmental test of proficiency in Hindi unless he has passed in Hindi as one of the subjects in the High School or Secondary Examination; and
- (b) the Appointing Authority is satisfied that his integrity is unquestionable and that he is otherwise fit for confirmation.

PART-VI

PAY

44. Scale of pay.- A person appointed to the pay in the level of pay matrix of a post in the service, shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 46 or as may be sanctioned by the Government from time to time.

45. Pay during probation.- A probationer trainee appointed to the service by direct recruitment, shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government, from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of recruitment rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own pay scale in the existing pay scale of the post during service as probationer trainee or fixed remuneration of the new post, whichever is advantageous to him/her.

46. Regulations of Pay, Leave, Allowances, Pension etc.- Except as provided in these, rules the pay allowances, pension, leave and other conditions of service of a member of the service shall be regulated by the,-

- (i) Rajasthan Service Rules, 1951, as amended from time to time;
- (ii) Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;
- (iii) Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time;
- (iv) Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;
- (v) Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;
- (vi) Rajasthan Civil Services (Contribution) Rules, 2005, as amended from time to time;

- (vii) Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time; and
- (viii) Any other rules prescribing general conditions of service made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and for the time being in force.

47. Removal of doubts.- In case of doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, the decision of the Department of Personnel shall be final.

48. Repeal and Saving.- All rules and orders in relation to matters covered by these Rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so superseded shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

49. Power to relax rules.- In exceptional cases where the Board is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any persons, it may with the concurrence of the Department of Personnel (A-Gr. II) by orders dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favorable than the provisions already contained in these rules. Such cases of relaxation shall be referred by the Board to the Department of Personnel (A-Gr. II):

Provided that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.

Provided further that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than six years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

SCHEDULE-I**(Ministerial Wing)
GROUP - A**

S. No.	Name of the posts	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Assistant Section Officer	100% by promotion	-	Clerk Grade-I	5 years' experience on the post mentioned in column number 5	-
2.	Clerk Grade-I	100% by promotion	-	Clerk Grade-II	3 years' experience in case of Graduate or 5 years' experience in case of others on the post mentioned in column number 5	-
3.	Clerk Grade-II	85% by direct recruitment; and 15% by promotion,	A. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination, and B. "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India; or Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi; or Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organised under National/State Council or Vocational Training Scheme; or Degree/Diploma/Certificate in Computer Science /Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government; or Senior Secondary Certificate from a	Class IV Employees	A. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination; and B. "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India; or Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi or Computer Operator & Programming Assistant (COPA) / Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organised under National/State Council or Vocational Training Scheme;	-

		recognized Board of Secondary Education in the Country, with computer Science/ Computer Application as one of the subjects; or Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government; or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSC1T) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited; or Any equivalent or higher qualification recognized by the Government. Explanation: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final.		or Degree/Diploma/ Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government; or Senior Secondary' Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with computer Science/ Computer Application as one of the subjects; or Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government; or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited; or Any equivalent or higher qualification recognized by the Government. Explanation: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing	
--	--	---	--	---	--

					Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final: Provided that the widow appointed on the post of Class-IV employee under the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996 shall be exempted from the Computer qualification in case of promotion under the provisions of these rules; and C. Five years' experience on the post mentioned in column number 5.	
--	--	--	--	--	---	--

GROUP - B

S. No.	Name of the posts	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Additional Private Secretary	100% by promotion	-	Personal Assistant	5 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
2.	Personal Assistant	100% promotion	-	Stenographer	5 years' experience on the post mentioned in	-

					column number 5.	
3.	Stenographer	100% by direct recruitment through competitive examination	A. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination; and B. "O" or Higher-Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India; or Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi; or Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organised under National/State Council or Vocational Training Scheme; or Degree/Diploma/Certificate in Computer Science /Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government; or Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with computer Science/Computer Application as one of the subjects. or Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government; or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by	-	-	-

			Vardhaman Mahaveer Open University, Rota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited; or Any equivalent or higher qualification recognized by the Government. EXPLANATION: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final.			
--	--	--	--	--	--	--

(Subordinate Wing)

S. No.	Name of the posts	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Librarian Grade- III	100% by direct recruitment	Senior Secondary with Certificate in Library Science / Bachelor in Library & Information Science/Diploma in Library & Information Science recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	-	-	-
2.	Chief Driver	100% by promotion	-	Senior Driver Grade-I	9 years' experience on the post mentioned in column number 5	-
3.	Senior Driver Grade-I	100% by promotion	-	Senior Driver	9 years' experience on	-

					the post mentioned in column number 5	
4.	Senior Driver	100% by promotion	-	Driver	9 years' experience on the post mentioned in column number 5	-
5.	Driver	90% by direct recruitment and 10% by promotion	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have:- 1. Sight 6X6 with or without glasses; and 2. Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority	Members of the Class IV service of the department.	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have:- 1. Sight 6X6 with or without glasses; and 2. Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority	-

SCHEDULE-II**PART –I****SCHEME AND SYLLABUS OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF STENOGRAPHER**

Scheme of examination: The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against it, namely:-

Phase-I:

PAPER	SUBJECT	DURATION OF EXAMINATION	MARKS
1.	General Knowledge, Everyday Science.	3 Hours	50
	General Knowledge of Rajasthan.		50
2.	General Hindi and English	3 Hours	100

Phase-II: The candidates may opt any one of the following two papers:-

S. No.	PAPER	DURATION OF EXAMINATION	MARKS
1.	English Shorthand Test (The test shall consist of dictation of 100 words per minute)	10 Minutes	100
	Transcription and typing of dictated passage in English on computer.	60 Minutes	
2.	Hindi Shorthand Test (The test shall consist of dictation of 100 words per minute)	10 Minutes	100
	Transcription and typing of dictated passage in Hindi on computer.	70 Minutes	

Explanation:

1. The standard of the papers will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan. The Syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Board, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Board deems fit.
2. The competitive examination will be held in two phases, Phase-I and Phase-II. All the papers of Phase-I will be of objective type.
3. In case of persons with benchmark disabilities (PwDs), the facility of scribe will be provided in Phase-I examination as per rules decided by the Board, if desired by the candidate. However, persons with benchmark disabilities (PwDs) will not be allowed to the facility of scribe in Shorthand Test in Phase-II Examination.
4. The Board will provide the Computer and Shorthand Notebook for the shorthand test. No candidate will be allowed to bring his own Keyboard. However, 'Blindness and

Low vision' category in persons with benchmark disabilities (PwDs) will be allowed to bring their own Slate/Machine for taking Shorthand dictation.

5. A compensatory time of 15 minutes of examination for transcription and typing of dictated passage on computer will be provided to the persons with benchmark disabilities (PwDs) in the Phase-II examination.
6. Provisions regarding number of candidates admitted to Phase-II and passing standards of each phase will be as per rule 30 of these rules.
7. The marks obtained by a candidate in the Phase-I and Phase-II of the examination will be counted for determining their final order of merit.
8. Candidates who opt to take the Stenography test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa after their appointment and candidates have to work as English/Hindi stenographers as per the functional requirement of the Office irrespective of the medium of Skill Test of candidate during the examination, failing which their probation may not be cleared by appointment departments.

PART –II

SCHEME AND SYLLABUS OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF CLERK GRADE-II

Scheme of examination: The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against it, namely:-

PHASE	PAPERS	DURATION	MARKS
Phase-I	1. General Knowledge, Everyday Science and Mathematics.	3 Hours	100
	2. General Hindi and English	3 Hours	100
Phase-II	For candidates other than persons with disabilities:		
	1. Type-writing in Hindi on computer		
	(a) Speed Test	10 Minutes	25
	(b) Efficiency Test	10 Minutes	25
	2. Type-writing in English on computer		
	(a) Speed Test	10 Minutes	25
	(b) Efficiency Test	10 Minutes	25

Persons with benchmark disabilities (PwBDs) will be given the average marks obtained by them in Phase-I.

Explanation:

- (1) “Persons with benchmark disabilities (PwBDs)” means a person who is eligible for appointment on the post of Clerk Grade-II under the provisions of the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018.
- (2) In proof of being so disabled, the candidate shall be required to submit a certificate issued by an officer not below the rank of Chief Medical and Health Officer at the time of submitting his application to the Board for appearing in the examination.
- (3) The standard of the papers will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan. The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Board from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Board deem fit.
- (4) The Competitive Examination will be held in two phases- Phase-I & Phase-II. All the papers of Phase-I will be objective type.
- (5) Candidates securing minimum 40% marks in each of the paper of Phase-I shall only be admitted to the Phase-II subject to three times the number of advertised vacancies

but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks shall be included. However, relaxation in minimum marks upto 5% shall be available in each paper of each phase to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category candidates. The marks obtained by a candidate in the Phase-I and Phase-II of the examination will be counted for determining their final order of merit.

- (6) It will be necessary for a candidate to do typing work on the computer and he will bring his own computer, pen and pencil for the test.

PART –III

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-III

The examination shall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.

Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:
 - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - (ii) Current Affairs of Rajasthan
 - (iii) General knowledge of world and India.
 - (iv) Educational Psychology

Syllabus and Scope of Papers:- The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Paper-II: Knowledge Organization, Informative Processing and Retrieval.

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Universe of knowledge
Structure and Attributes
Modes of formation of subjects

- Different types of subjects
Universe of subjects as mapped in different schemes of Classification.
- (ii) Bibliographic description.
Catalog purpose, structure and types physical forms including OPAC filling rules.
Normative principals of cataloging.
Overview of principles of practice in document description.
Current trends in standardization, description and exchange.
Standard code of cataloging.
- (iii) Methods of knowledge organization.
General theory of Library classification.
Normative principles of classification and their applications.
Species of Library classification.
Standard schemes of classification and there features, "CC, DDC, UDC."
Notation: need, functions, characteristics.
Design and development of schemes library classification, standard sub- division index.
Trends in Library classification.
- (iv) Subject classification
Principles of subject classification.
Subject heading lists and there features.

Syllabus and Scope of Papers: The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

[No. F. 19(1) DOP/A-II/2022]

**By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.